रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) प्राकृतिक गैस को छोड़कर उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पैट्रोलियम उत्पादों की संपूर्ण देश में रियायती दरों पर आपूर्ति की जाती है।

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित उर्वरक एककों को नियंत्रण उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के रूप में 197.07 करोड़ रु. तथा 167.00 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया था । आयातित मूरीएट आफ पोटाश (एमओपी) तथा स्वदेशी फॉस्फेटिक उर्वरकों की बिक्री के बारें में विशेष रियायत योजना के अन्तर्गत अनियंत्रित उर्वरकों पर कृषि मंत्रालय ने 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 31.92 करोड़ रु. की राशि प्रदान की थी। 1994-95 के दौरान कृषि मंत्रालय ने फासफेटिक उर्वरकों के उत्पादकों तथा मूरीएट आफ पोटाश (एमओपी) के आयातकों को मध्य प्रदेश में इन उर्वरकों की बिक्री के संबंध में रियायत के रूप में 26.42 करोड़ रु. का भुगतान किया था।

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्रों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन के ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं। [**देखिए परिशिष्ट** 176, **अनुपत्र संख्या** 41]

ग्रामीण आवास परियोजना

973. **श्री राजनाथ सिंह** :

श्रीमती मालती शर्मा :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण आवास परियोजना के लिए एक कोष गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को मुफ्त आवास इकाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 से इंदिरा आवास योजना को सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1993-94 से, इसमें गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण निर्धन को भी शामिल कर लिया गया है, परन्तु यह शर्त रखी गयी है कि इन्हें दिया जाने वाला लाभ कुल आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 1995-96 से, इस योजना का लाभ लड़ाई में मारे गए सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सदस्यों के परिवारों को भी दिया जाने लगा है । इंदिरा आवास योजना एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गयी है और इसके लक्ष्य शुरूआत से ही लगभग सभी वर्षो में पार कर गए है। इस योजना के अंतर्गत 2434.73 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 1985-86 से 1994-95 तक कुल 20,16,010 मकान बनाए गए।

देशभर में इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता तथा साल-दर-साल बेघर परिवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निधियों के आंवटन को 1994-95 के 438 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1995-96 के लिए 1250 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित) कर दिया गया है, जिससे 10 लाख मकानों को बनाने का लक्ष्य है। 31 जनवरी, 1996 तक 4.39 लाख से भी अधिक मकानों का निर्माण कर लिया गया है।

विकलांग बच्चों की शिक्षा

974. **श्री गोपाल सिंह जी . सोलंकी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामान्य बच्चों की तुलना में स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों का नवीनतम प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन विकलांग बच्चों को विशेष सुविधायें प्रदान करने का जो व्हील चेयर का प्रयोग कर रहे हैं या अन्य प्रकार की विकलांगता से पीडित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ख) वे प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं जिनके अंतर्गत विकलांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:-

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता,

(2) विशेष स्कूलें की स्थापना, और विकास, तथा

(3) मानवसंसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना।